ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं का अध्ययन (धार जिले के संदर्भ में)

मडिया डावर, शोधार्थी, भूगोल विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)
डॉ.देवेन्द्र मुझाल्दा, आचार्य, भूगोल विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)

आधुनिक कृषि प्रणाली ने मध्यप्रदेश के धार जिले के समूचे अनाज के उत्पादन में भारी योगदान दिया है। आधुनिक कृषि प्रणाली के प्रयोग से समुचे मध्यप्रदेश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आधुनिक कृषि प्रणाली में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश के धार जिले में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही पूरे मध्यप्रदेश में आधुनिक कृषि प्रणाली में व्यापारिक फसलों के उत्पादन से कृषकों के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। साथ ही इनका जीवन स्तर ऊँचा उठा है। इन विकासखण्डों में कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक विधियाँ है। बेहतर बीजों का प्रयोग, उचित सिंचाई सुविधाएँ तथा रासायनिक खादों के प्रयोग से पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्त्वों की आपूर्ति व कीटनाशकों के प्रयोग से पौधों में लगने वाली बिमारियों व कीटाणुओं का नियंत्रण करना होता है।

आधुनिक कृषि भूमि में जुताई के लिए ट्रेक्टर, कम्बाईन हारवेस्टर व सिंचाई के लिए ट्यूबवेल द्वारा आधुनिक जूताई से खेती कर सके, जहाँ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा सके। उच्च उत्पादकता वाले बीजों के माध्यम से खाद उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण हरितक्रांति का उपयोग हो रहा है। आधुनिक कृषि भूमि में व्यापारिक फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल के साथ–साथ वायु, जल, भूमि व मानवीय, श्रम, मानवीय स्वास्थ्य का संरक्षण भी अति आवश्यक है। कृषि ग्रामीण भारत का केन्द्र मंच है, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि उत्पादन का महत्व बहुत अधिक है तथा कृषि अर्थव्यवस्था के मापन में कृषि उत्पादन का विशेष योगदान रहता है। भारत में सच्ची समद्धि केवल कृषि के विकास में ही मानी जा सकती है। कपास भारत में खेती की जाने वाली तथा सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं व्यावसायिक फसलों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार एक किलोग्राम अनाज उगाने के लिए लगभग एक घनमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अतः हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुसार फसलों के उत्पादन एवं सिंचाई के साधनों के स्वरूपों में बदलाव की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों संचालित होने वाले योजनाओं :–

धार जिले में भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की नवीन योजनाएं संचालित हो रही है, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य प्रकार के लोगों का निवास है, लेकिन ये दोनों जिलों में अनुसूचित जनजाति बहुल्य होने के कारण इनकी जनसंख्या अधिक मात्रा में देखी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक है, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीब उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। धार व बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाऐं संचालित की जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आजीविका परियोजनाऐं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास में अग्रलिखित अवधारणाओं का समावेश है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान, पीने के पानी के साथ स्कूल का संचालन स्वास्थ्य सुविधाएँ सड़क विद्युतीकरण आदि।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार।
3. सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का प्रावधान।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

देने के लिए योजनाऐं लागू करना।

5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व व्यक्तिगत परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्रेडित और सब्सिडी के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

इंदिरा आवास योजना :–

आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है। पूर्व में इस योजना के केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 75:25 था किन्तु इस वर्ष से यह 60:40 हो गया है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है। हितग्राहियों को राशि स्टेट नोडल एकाउण्ट से एफ.टी.ओ. द्वारा सीधे इनके खातों में उपलब्ध करायी जाती है। आवास के निर्माण के साथ–साथ शौचालय बनाया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–

गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाए। अतः भारत सरकार द्वारा 25. 12.2000 को 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों एवं मार्च 2011 में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता निर्धारण निम्नानुसार किये जाने का प्रावधान हैं :–

प्रथम प्राथमिकता – सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य।

दूसरी प्राथमिकता – सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें को बारहमासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण।

तीसरी प्राथमिकता – सभी मुख्य मार्गो का उन्नयन

चौथी प्राथमिकता – सभी संपर्क मार्गों का उन्नयन।

सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार 2005 में नागरिकों को सरकार के रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और कुछ श्रेणियों की सूचनाओं को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। यह सार्वजनिक जांच के लिए सरकार के रिकॉर्ड को खोलता है जिससे व्यवस्था में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह स्थानीय शासन और विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करता है। आरटीआई का उपयोग जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में सामान्य और विशेष रूप से मनरेगा में किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार :–

ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक क्षमता को बढ़ने के लिए, 4 अगस्त, 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियमित करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर–तरीकों का वर्णन करता है। इसके साथ ही भारत अधिकार आधारित ढ़ांचे की ओर आगे बढ़ा है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी का अधिकार है। यह अनिवार्य करता है कि निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करें। यह कक्षाओं को भय और चिंता से मुक्त करने के साथ–साथ यथासंभव मातृभाषा शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करके शारीरिक दंड पर प्रतिबंध

लगाकर समानता के साथ गुणवत्ता के लिए प्रयास करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 :–

लंबे समय से, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घरों में 'खाद्य सुरक्षा' के मुद्दे को संबोधित कर रही है। फिर भी गरीब का संकट बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में गरीबों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही भोजन के अधिकार की मांग को लागू किया गया। संभवतः यह भुखमरी और भूख के विरुद्ध एक कवच था। 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एनएफएसए) 2013 का अधिनियमन खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श परिवर्तन का प्रतीक है।

संबंधित साहित्य का पुनर्रावलोकन :–

- **सिंह, ओम वीर (2010)** ने अपने अध्ययन में पाया कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के सम्बन्ध में इस भू–आकृति की गहराई में पन्धर नदी का पानी जिले को दो मुख्य भागों में बाँटकर उनकी समस्याओं एवं घटते हुए जल का वर्णन किया है।
- **सिंह, राजेन्द्र (2012)** ने अपने अध्ययन में पाया कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल के स्तर में वृद्धि और जल को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किये, जो कि कृषि कार्यो के लिए, पीने के लिए और अनेक विलुप्त नदियों को जीवित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य है।
- **सिंह, संजीव कुमार (2014)** ने अपने अध्ययन में बताया कि सामान्य भूमि उपयोग एवं विगत वर्षो में पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन में कमी हो रही है, जो कि भूमि उपयोग से वितरण एवं परिवर्तन में पर्याप्त अन्तर देखेन को पिता है। भूमि उपयोग के परिवर्तन पर क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का भी प्रभाव पड़ता है।
- **निषाद, अजय प्रताप (2014)** ने अपने अध्ययन में कृषि पर आधारित उद्योग के विश्लेषण से स्पष्ट किया की गन्ना, खड़सारी उद्योग अधिक प्रचलित होता है यह माना गया है। वर्तमान समय में इसका अधिक उपयोग होता चला जा रहा है जो कि कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न फसलों में चावल, दाल, चिनी आदि अनेक प्रकार के विकसित होने का प्रतिक है।

निष्कर्ष :–

1. आज अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कृषि के क्षेत्र में नवीन पद्धतियों के उपयोग की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था कृषि विज्ञान केन्द्र को करनी चाहिए।
2. जो भी नवीन तकनीकी का आविश्कार कृषि क्षेत्र में हो, उसके लिए पहले से संबंधित कृषकों को उसकी जानकारी देना चाहिए।
3. महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया जाए, सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाए। उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें।
4. शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए महिलाओं के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा में हो। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े। कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ओम प्रकाश, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, रामा पब्लिकेशन्स हाउस, मेरठ, 2006
2. शर्मा ब्रह्मदेव, आदिवासी स्वशासन प्रकाशन संस्थान 2008 नई दिल्ली
3. श्रीवास्तव आर.एन., सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2002 पृ. स. 261, 263
4. चौबे रमेश : सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2001 पृ.स. 232
5. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका : जिला कार्यालय, धार म.प्र. 2016
6. जनसंख्या के अंतिम आँकड़े : भारत की जनगणना 2011 निर्देशक जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश, भोपाल
7. कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) जिला धार (म.प्र.)